



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B.Writ Contempt No. 718 / 2016

Suresh Jethu

----Petitioner

Versus

Subir Kumar & Ors

----Respondent

याची की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव पोटालिया,
अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री अनिल बिस्सा, उपस्थित।

HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA

Order

16/02/2017

श्री बिस्सा ने आज याची की रिट याचिका संख्या 5887/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 के अनुसारण में सक्षम अधिकारी द्वारा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 की प्रति मय जवाब प्रस्तुत करी जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाता है। जवाब के साथ प्रस्तुत आदेश परिशिष्ट आर-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी ने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5255/2015 अरुण चौधरी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 30.12.2008 की गलत व्याख्या करते हुए याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर अयाची संख्या 5 स्वयं तथा कमाण्डेन्ट 10th बटालियन आरएसी (आईआर), बीकानेर के पद पर हाल में कार्यरत अधिकारी को इस न्यायालय में उपस्थित रखा जाए। पत्रावली तारीख 03.03.2017 को सूचीबद्ध की जाए।

(SANDEEP MEHTA)J.

Snlohra/20

